06 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार -

आज दिनांक 04.09.2025 को जनपद के बिभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना घोसी द्वारा वारंटी अभियुक्तगण रामध्यान पुत्र लूटन, अंगद पुत्र लूटन, रामपुकार पुत्र घूरपत निवासीगण नथनपुरा मंझरिया थाना घोसी जनपद मऊ, गोविन्द पुत्र सूर्यभान निवासी अकोल्ही मुबारकपुर थाना घोसी जनपद मऊ, थाना मधुबन पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्ता सायरा पत्नी जहीरुद्दीन निवासी सुकड़ीकोल थाना मधुबन थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त जितेन्द्र चौहान पुत्र लाल चन्द चौहान निवासी बरडीहा थाना मुहम्मदाबाद को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

गुमशुदा/खोए कुल तीन मोबाइल फोन लगभग 44,000 (चौवालीस हजार) रुपये कीमती बरामद कर उनके स्वामी को किया गया सुपुर्द–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मधुबन साइबर टीम द्वारा थाना स्थानीय पर दर्ज गुमशुदगी को सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से गुमशुदा मोबाइल धारको का थाना स्थानीय पर नियुक्त साइबर टीम द्वारा थाना घोसी में गुमशुदा 03 मोबाइल फोन, 01 वीवों 15000रु आवेदक दीपक पुत्र सतिराम निवासी परशुरामपुर, 01 रियलमी कीमत 15000रु आवेदक संजय कुमार मल्ल पुत्र ब्रम्हा मल्ल निवासी जजौली, 01 इनफिनिक्स हॉट कीमत 14000 रु आवेदक राजन पटेल पुत्र फौजदार पटेल निवासी दरौंधा माधोपुर, कुल कीमत लगभग 44,000 (सत्तर हजार) रुपये आवेदकों को बरामद कर उनके स्वामी को सुपुर्द किया गया। आवेदकों द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना घोसी के अधिकारी/ कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व ₹25,500 के अर्थदंड से हुए दंडित–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय जिला एव सत्र न्यायधीश कोर्ट जनपद मऊ द्वारा दिनांक 04-09-2025 को मु0अ0सं0 166/12 व मु0अ0स0 169/12 धारा 147, 148, 302, 120बी भादवी , 7 सीएल ए एक्ट व 3/25 आर्म एक्ट थाना कोपागंज में दोषसिद्ध अभियुक्त प्रेम चन्द चौरसिया पुत्र सदावृक्ष चौरसिया निवासी चुंबनपुरा थाना कोपागंज, उदय नारायण चौरसिया पुत्र राजन चौरसिया, विकास चौरसिया पुत्र उदय नारायण चौरासिया निवासीगण तमलपुरा थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा एवं ₹25,500 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया।

सजा कराये जाने में अभियोजन अधिकारी श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह (एडीजीसी), प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री आरआर यादव, न्यायालय पैरोकार आरक्षी जयन्त तिवारी थाना कोपागंज का सराहनीय योगदान रहा।